हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.7.15 पत्रावली पेश हुआ उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार पैरोकार सरकार ने बताया कि प्रकरण के सम्बन्ध में बताया कि प्रकरण के प्रार्थी ने पर्याप्त अवसर देने के बाद भी साक्ष्य नहीं करवाई एवं माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.12.13 को साक्ष्य प्रार्थी बंद की जा चुकी है अतः साक्ष्य के अभाव में प्रकरण खारीज किया जाता है अतः प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार किया जाता है। सहायक कलेक्टर से कहा। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	